

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

(इंदौर खण्डपीठ)

R-2440-PBR/16

(15)

20.9.16
पुनरीक्षण क.

प्रस्तुत दिनांक 29.06.16
1.7.16

कायालिय आयुक्त इंदौर संभाग इन्दौर
श्री मोहम्मद याहिर 1.3.16
प्रधान/अधिकारीवाल द्वाया दिनांक
के प्रस्तुत।

अधीक्षणक
1
2
3

491/01/07/2016

सुरेश पिता रामलाल राठौर उम्र 62 वर्ष

अनिल पिता रामलाल राठौर उम्र 60 वर्ष

ओमप्रकाश उर्फ मुना पिता रामलाल राठौर उम्र 54 वर्ष

सभी निवासी भावसार मोहल्ला पंधाना तह.पंधाना जिला खंडवा

.....याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

- 1 पुष्पाबाई पति माखनलाल राठौर उम्र 66 वर्ष निवासी गांधी चौक मूंदी जिला खंडवा
- 2 कृष्णाबाई पति धनराज राठौर उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम केसला बेतुल रोड पर तह.इटारसी जिला होशंगाबाद
- 3 उषाबाई पति गेंदालाल राठौर उम्र 56 वर्ष निवासी इंदिरा पार्क के सामने आनंद नगर खंडवा तह.व जिला खंडवा
- 4 सरलाबाई पति जीवनलाल इंगले उम्र 52 वर्ष निवासी प्रथम अपार्टमेंट एसी-6 ब्लाक नं. 191 पहली मंजिल सेक्टर 5 एरोली नवी मुंबई
- 5 सुधाबाई पति रामेश्वर उम्र 50 वर्ष निवासी हीरानगर चौकी के पास सुकलिया इंदौर तह.व जिला इंदौर
- 6 कोकिलाबाई पति राजेन्द्र उम्र 48 वर्ष हाल मुकाम श्री महेश मोदी एड्होकेट का मकान अभिनंदन नगर शांतनु विहार कालोनी मंदसोर तह.व जिला मंदसोर

- 7 सुभाष पिता रामलाल राठौर उम्र 64 वर्ष निवासी हाल मुकाम गुलमोहर हाईड्राकार्बन सेक्टर नं. 1 पोहा फेकट्री के पास (आईल ग्रीस फेकट्री) राउ तह.व जिला इंदौर .

.....विरुद्धार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

याचिकाकर्ता निम्न निवेदन करते हैं—

यह कि राजस्व प्रकरण क. 74/अ 27/09-10 आदेश दिनांक 14.06.16 पुष्पाबाई विरुद्ध सुरेश के प्रकरण में धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. कि धारा के तहत पारित किया गया है। ओर उक्त आदेश में अनावेदकगण को स्थगन संबंधी आवेदन याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित किया गया है। उक्त आदेश से दुखी, असंतुष्ट होकर निगरानी याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

सुरक्षा अधि/ गृहपा अधि
R-2440-PBR/16 २००३ का

२०-३-१८

आवेदन आधिकार्या की मो. साहित
उपाधि | उनके द्वारा निवेदन किया
कि के प्रकार आगे नहीं चलाये जाने
में नाइट में समाप्त किया जाए।
आवेदन के निवेदन पर प्रकार आगे नहीं
चलाये जाने में नाइट में समाप्त
किया जाना है।

N.V. P.C.S.
(मिस्टर)
20/3/18

संदर्भ

[कृ. प. उ.

हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा